कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) बारां

कमांकःएफ16(2)(15)भू.अ / एलआरसी / साइबर कैफे / 10 / 108/4731 दिनांकः 6/7/10

विज्ञप्ति

(साईबर कैफे के माध्यम से जमाबंदी की नकल जारी करने हेतु लाईसेन्स बाबत)

राजस्थान के समस्त कृषि भूमि के स्वामित्व का रिकार्ड (रिकार्ड ऑफ राईटस) जमाबंदी के रूप में वेबसाईट पर उपलब्ध है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक भू.अ. / एल.आर.सी. / प. 88 / पार्ट II / 07 / 20–52 दिनांक 07.01.2010 एवं 11255-87 दिनांक 22.06.10 के अनुसार निजी क्षेत्र में कार्यरत साइबर कैफे को जमाबंदी से नकलें जारी करने हेतु लाइसेंस देकर अधिकृत करना प्रस्तावित है।

लाईसेन्स फीस 200 / –रूपये (सभी क्षेत्रो के लिये) तथा नवीनीकरण शुल्क 100 / – रूपये होगा। साइबर कैफे से नकल देने की फीस 20 / – रूपये प्रति पृष्ठ लेने हेतु अधिकृत होगा। सन्तोषप्रद कार्य पाये जाने पर लाइसेन्स प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जा सकेगा।

इच्छुक साईबर कैफे धारक को आवेदन पत्र के साथ एक वर्ष की लाइसेंस फीस बैंक ड्राफ्ट के द्वारा भेजनी होगी। बैंक ड्राफ्ट जिला कलक्टर(भू.अ.) बारां के नाम से भिजवाया जावें।

आवेदन पत्र जिला कलक्टर (भू.अ.) बारां के कार्यालय में वित्तीय वर्ष में कभी भी स्वीकार किये जावेगे। लाइसेंस वित्तीय वर्ष की शेष रही अवधि के लिये मान्य होगा तथा अग्रिम वित्तीय वर्ष हेतु चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व लाइसेंस का नवीनीकरण करवाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र व शर्तो का अवलोकन जिला कलक्टर (भूअभिलेख) बारां के कार्यालय में तथा जिले की वेबसाइट www.baran.nic.in पर भी प्राप्त किया जा सकता है।

जिला कलक्टर (भू.अ.)
बारां

कमांकःएफ16(2)(15)भू.अ / एलआरसी / साइबर कैफे / 10 / 4732-4786 दिनांकः 6/7/10
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर को 6 प्रतियो में प्रेषित कर निवेदन है कि इस विज्ञप्ति का प्रकाशन एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान में, साधारण अक्षरो में एक दिवस के लिए शीघ्र प्रकाशित करवाने का श्रम करे।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. 5318 उ0–पश्चिम ब्लाक शासन सचिवालय जयपुर
4. जिला कलक्टर ....
5. कोषाधिकारी, बारां
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. बारां
7. उपखण्ड अधिकारी ....(समस्त) जिला बारां
8. तहसीलदार ....(समस्त) जिला बारां
9. नायब तहसीलदार, केलवाडा
10. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु
11. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर (भू.अ.)
बारां